न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/16)

1. शोभना पुत्री बृजलाल पत्नी देवेन्द्र बेनीवाल, जाति जाट निवासी मोची वाली, तहसील नाथुसरी, चौपटा, जिला सिरसा।
2. सिलोचना पुत्री बृजलाल पत्नी खेताराम जाति जाट, निवासी बणी, तहसील राणीया, जिला सिरसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगजीत पाण्डर पुत्र बृजलाल जाति जाट, निवासी जसाना तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्र सैन पुत्र बृजलाल जाति जाट, निवासी जसाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
3. धनपत सिह पाण्डर पुत्र बृजलाल, जाति जाट, निवासी जसाना तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
4. सरपंच ग्राम पंचायत जसाना, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. उप पंजीयक नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः
1. श्री हरिराम बिश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रोशन अली – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18.03.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगजीत पाण्डर ने सरपंच ग्राम पंचायत जसाना, तहसील नोहर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 850 दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को खारिज फरमाया जाकर कमला देवी पत्नी बृजलाल की वसीयत दिनांक 09.01.2018 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.04.2023 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तरण संख्या 850 दिनांक 20.07.2021 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट शोभना वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4, 5 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि मौजा रोही चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के पत्थर नं. 324/406 के मुरबा नं. 29 के किला नं. 23, 24, 25 मे 0.7340 हैक्टयर, पत्थर नं. 324/404 के मुरबा नं. 32 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19 कुल 20 किता कुल 3.9470 325/403 के मुरबा नं. 28 के किला नं. 21 की 0.2530 हैक्टयर पत्थर 325/404 के मुरबा नं. 33 के किला नं. 1, 10, 11, 12, 20 में 1.2650 हैक्टयर कुल तादादी 6.1990 हैक्टयर भूमि जो पूर्व मे पतराम के नाम आवंटनशुदा भूमि थी व पतराम ने जरिये गिफ्ट डीड के उक्त भूमि अपनी पुत्र वधू कमला देवी पत्नी बृजलाल के नाम कर दी गई व कमला देवी की मृत्यु होने पर उक्त आराजी का विरासतन नामान्तकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर में दर्ज इन्तकाल सं. 850 दिनांक 20.07.2021 को ग्राम पंचायत जसाना, तहसील नोहर द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमे किसी भी वारिसो को कोई एतराज नही रहा व उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही रेस्पोडेन्टगणो द्वारा ही की गई थी। अपीलान्ट्स शादीशुदा औरत है व अपने ससुराल हरियाणा में रहती है। वारिसनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र, दस्तावेज स्वय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ही बनाकर पेश किये थे। यदि ऐसी कोई वसीयत थी तो उस वक्त ही पेश कर देते परन्तु रेस्पोडेन्ट के पास वरवक्त इन्तकाल दर्ज करते समय ऐसी कोई वसीयत नही थी, बाद में गलत वसीयत बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर न्यायालय को गुमराह किया गया। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं 1 ता 3 की माता द्वारा जो वसीयत दिनांक 09.01.2018 को वादग्रस्त भूमि की लिखी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गई है, वह कूटरचित है, माता कमला को सम्पूर्ण भूमि की वसीयत लिखने का कोई अधिकार नही था क्योकि अपीलाधीन भूमि कमला के पास ससुर से गिफ्ट मे आई हुई थी, जो कि स्वय अर्जित की श्रेणी मे नही आती है। वसीयत, गोदनामा उत्तराधिकार से सम्बधित समस्त कानूनी बिन्दु वाद से ही तय होते है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, विवादग्रस्त भूमि के अधिकार टाईटल, स्वत्वधिकार किसका बनता है यह सब वाद मे ही तय किये जाते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन नामान्तकरण सं. 850 जो निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है वो आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 850 दिनांक 20.07.2021 को यथावत कायम रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.04.2023 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2005 (1) पेज 630 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि बहनो द्वारा इन्तकाल से पूर्व दिनांक 18.07.2021 को ग्राम पंचायत जसाना को आपत्ति पेश कर दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना सुने निर्णय पारित कर दिया। उक्त भूमि गिफ्ट मे प्राप्त हुई थी, जिसकी वसीयत की जा सकती है। साथ ही अपीलान्ट ने वसीयत को सिविल न्यायालय में चेलेन्ज कर रखा है, तथा उक्त वसीयत पर वर्तमान में स्टे भी है। वसीयत पर सुनवाई एवं निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड किया है जो सही है। उपखण्ड अंधिकारी के निर्णय दिनांक 04.04.2023 में कोई त्रुटि नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में (Citation 2023 (2) DNJ (Rev) 1101] , (Citation 2018 (1) DNJ (Raj) 11] का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 04.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत जसाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 850 दिनांक 20.07.2021 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड किया गया है। कमला देवी पत्नी बृजलाल द्वारा दिनांक 09.01.2018 को तीन पुत्रो व 2 पुत्रियो मे से केवल तीन पुत्रो के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि की वसीयत की गई है। कमला देवी का देहान्त दिनांक 24.05.2021 को हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के पुश्तेनी/स्वअर्जित होने का विवेचन भी नही किया गया है। पुश्तेनी भूमि पर सभी जायज वारिसान के हक–हकूक सृजित होते है, साथ ही वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा वैध ठहराया जाना भी नही पाया है। उक्त वसीयत मात्र पुत्रियो को भूमि मे हिस्से से वंचित रखे जाने हेतु तैयार किया जाना प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2023 विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो के अनूकूल नही पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2023 को निरस्त किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 850 दिनांक 20.07.2021 को यथावत कायम रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर